| 2

5000RS.

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1908 की धारा
......46 I P J O. के अधीन
भारतीय स्टाम्प अधिनियम
इंडियन स्टाम्प एक्ट) 1899 की अनुसूची
1 का 1 क संख्या ...23 I A... with the Permission
By S. D. O. Simdega vide
Case No 239/10-11
order dt. 30.11.10.
स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं ।।

6.1.11

6.1.2011

१ । १ लेख्यकारी:- श्री तुधीर तिर्की पिता स्व० फ्रांसित तिर्की जाति- मुण्डा, धर्म- इताई, पेशा- खेतीबारी, निवात ग्राम- गोतरा ठाकुरटोली, थाना- तिमडेगा, जिला- तिमडेगा ।

...... विक्रेता ।

दस्तावेज संख्या:- 03 — /2011

सही २ सुधीर तिर्की
पिता स्व० फ्रांसिस तिर्की
ग्रा० गोतरा ठाकुर टोली
थाना सिमडेगा।।।
जिला सिमडेगा।।।
ता० 5-1-11

4/11

000002/11

क्रं० 5 दि० 4-1-11

कार्यालय जिला कोषागार ...

13
04 JAN 2011
4/1/11

श्रीमती मार्ईकेल तिर्की
द्वारा/पति श्री प्रफुल्ल तिर्की
ग्रा. गोतरा जिला सिमडेगा
निम्नलिखित नानजुडिसियल स्टाम्प
बाबत 7,200/ बेचा गया

कोषागार लिपिक
सिमडेगा कोषागार

5000×1 = 5000:-
1000×2 = 2000-
100×2 = 200-
कुल - 7,200-

सुधीर तिर्की
6.1.11
6.1.11

6.1.2011 10 to 1
... निबंधन कार्यालय
सिमडेगा में लेख्यकारी ने ... लिखकारी
... उनके मुख्तार जो ...
... शामिल संख्या ...
... के निबंधन ...
निबंधक द्वारा प्रमाणीकृत है।
नाम / श्रीमती सुधीर तिर्की
पिता / पति स्व. अनियास तिर्की
... गोतरा ... थाना सिमडेगा
... ठाकुरटोली ... ख्रिस्ती
6.1.11

6.1.2011

जिला अवर निबंधक सिमडेगा
6.1.11

--2--

(2) लेख्यधारिणी:- श्रीमती माईकेल तिर्की पति श्री प्रफुल तिर्की जाति- उरॉव, धर्म- इसाई, पेशा- गृहणी, निवास ग्राम- गोतरा डिपेंस कॉलोनी, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

क्रम पत्र संख्या:- 04 -/2011

(3) लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक हमेशा के लिए होता है ।

(4) मूल्य:- मोबलिग एक लाख अस्सी हजार रूपया अंके 1,80,000/- रूपया होता है ।

(5) सम्पत्ति:- एराजियात खतियानी आवादीय जमीन वाके मौजा- गोतरा भोगताटोली, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 102 (एक सौ दो) प्लॉट नं0 2496 (चौबिस सौ छियानबे) रकबा 1.43 एकड़ में से 0.15 एकड़ (पन्द्रह डिसमिल) जानिब बीच हिस्सा, जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- टॉड इसी प्लॉट का अंश नीज बिक्रेता,

दक्षिण:- टॉड इसी प्लॉट का अंश संदीप बागे,

पूरब :- दोन प्लॉट नं0 2495,

पश्चिम:- टॉड प्लॉट नं0 2315,

सुधीर तिर्की 5.1.11

ह०नि० संजय तिर्की पिता स्व० लाजरूस तिर्की सा० गोतरा डाकुरटोली थाना+जिला- सिमडेगा पांडरक तिर्की, गवाह ने मेरे सामने ईशा दिया। ता० 5-1-11

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

वर्णित बिक्रीत जमीन पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है तथा मूल्य तालिका के अनुसार अन्य सड़क आवासीय में दर्ज है। जिसका मालगुजारी 0.02 रूपया (दो पैसा) अलावे सेस सालाना।

(1) चुँकि मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने हेतु रूपयों की आवश्यकता है तथा बिना जमीन बेचे रूपया पाने का कोई अन्य उपाय नहीं है अतः मैंने उपरोक्त लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने उपर के वर्णित मूल्य पर खरीदना स्वीकार किया।

(2) अतः मैं तन एवं मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर वर्णित नगद कीमत चुकता पाकर लेख्यधारिणी के हाथ सदा दिन के लिए बेचा वो बेची गई भू-सम्पति का सारा हक वो दखल एवं अधिकार हमेशा के लिए लेख्यधारिणी वो उनके वारिशान के हाथ हस्तान्तरित कर दिया। अब से उक्त जमीन पर मेरा किसी तरह का कोई हक अधिकार नहीं रहा और न भविष्य में मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का रहेगा।

(3) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उपरोक्त जमीन हमारी खतियानी जमीन है जो पण्डरा मुण्डा के नाम खतियान में दर्ज है जो मेरे दादा थे। दादा की मृत्यु हो चुकी है तथा दादा की मृत्यु के बाद उक्त जमीन पर मेरे पिता फ्रांसिस तिर्की वगैरह शांतिपूर्ण दखलकार हुए तथा उनके नाम पर पंजी II में जमाबन्दी कायम हुआ। मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है

05-01-2011

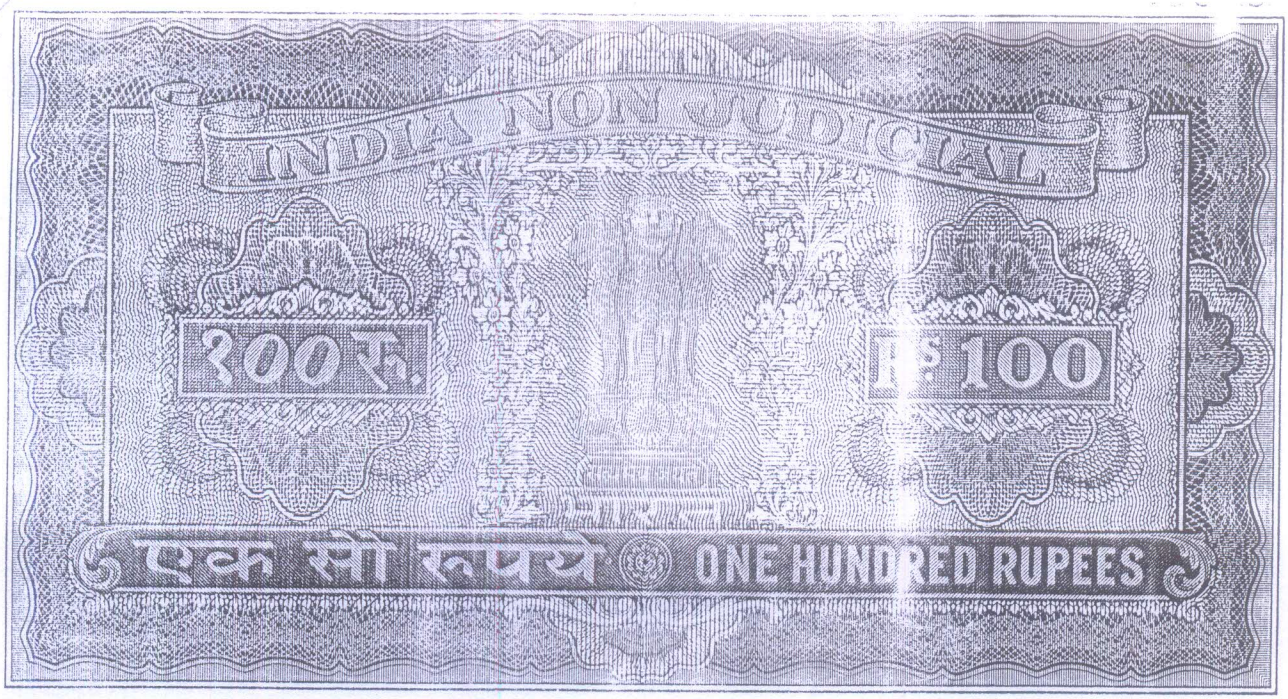

तथा पिता के मृत्यु के बाद मैं उनका एकमात्र उत्तराधिकारी उक्त जमीन पर शांतिपूर्ण दखलकार हूँ । इसपर किसी प्रकार का झगड़ा झंझट या भारदेन नहीं है ।

(4) चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित रैयत हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु मान्य न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति का आवेदन दिये जिसका मुकदमा संख्या 239/2010-11 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 30.11.10 को प्राप्त हुई जिसका मेमो नं0 1046(ii) दिनांक 30.11.2010 है ।

(5) अब चाहिए कि लेख्यधारिणी उक्त बिक्रीत जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर जैसा चाहें भोग सरूफ करें वो जमीन्दार झारखण्ड सरकार के सिरिश्ते अंचल कार्यालय, सिमडेगा से दाखिल खारिज कराकर स्वयं के नाम से तारीख लेख्य से मालगुजारी अदाकर मालगुजारी रसीद प्राप्त किया करें ।

(6) इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला बैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

100Rs.

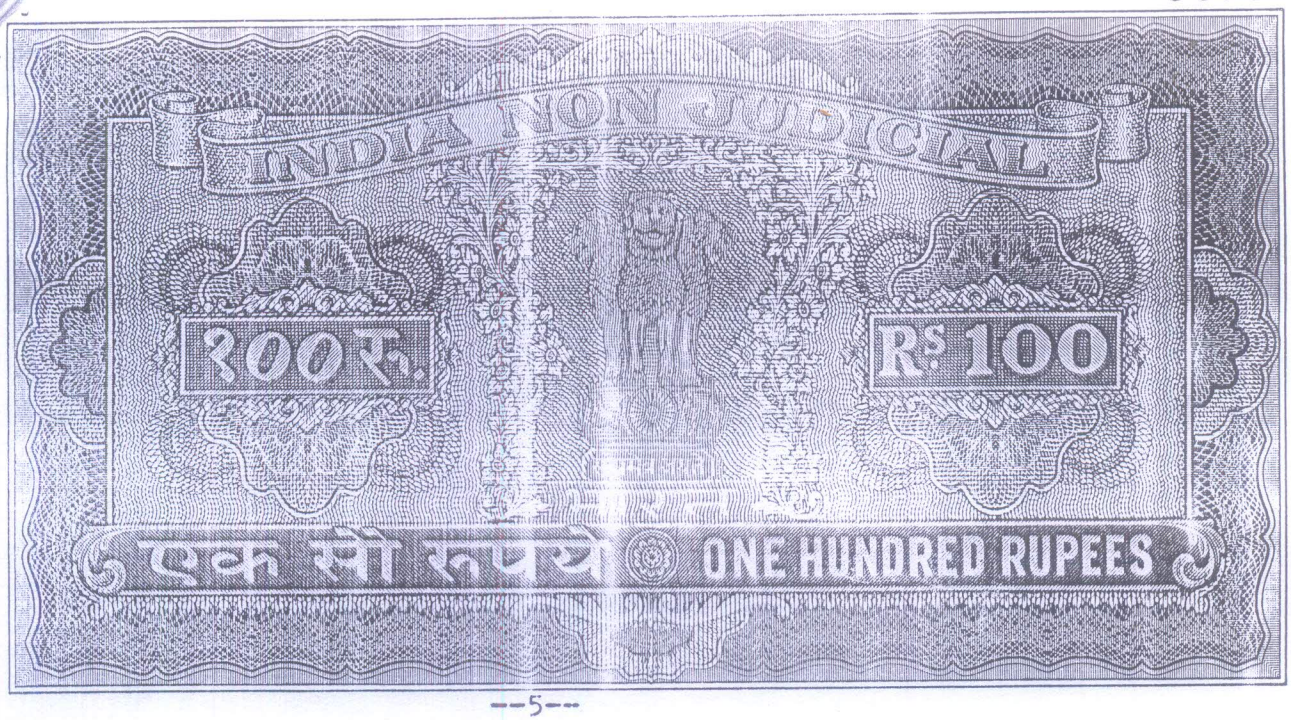

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

--5--

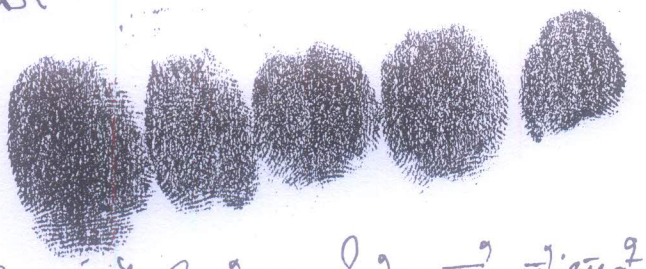

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि बिक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सुधीर तिर्की
5.1.11

सुधीर तिर्की 5.1.11

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी ने अपने बायें हाथ के पांचों अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष किया।

Pramod Kr ...
Adv
05-01.2011

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

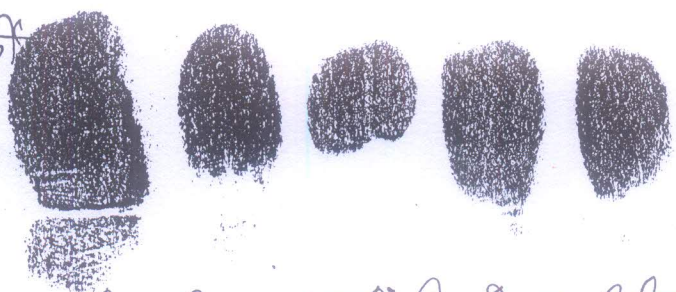

माईकेल तिर्की
5-1-2011

माईकेल तिर्की

Attested
Pramod Kr ...
Adv
05-01-11

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी ने बायें हाथ के अपने पांचों अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष की।

Pramod Kr ...
Adv
05-01.2011

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- Pramod Kr Dungdung
Adv. 05.01.2011

(प्रारूपकर्त्ता)
तारीखः-

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल 564 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नकशा सहित है ।

टंकक
मो० महबूब
5/1/11
मो० महबूब
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।